न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सुरेश बनाम रमेश व अन्य
किस्म मुकदमा—225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या —: 268/2024(केकड़ी)

रिमा05
7/11/24

श्री शिव प्रकाश चौधरी एडवोकेट

सुरेश बनाम रमेश वगैरह (2023/268)

07.11.2024

यह अपील श्री शिव प्रकाश चौधरी एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 87/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना—पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर सुनवाई हेतु अभिभाषक अपीलांट उपस्थित ने निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर उनको प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात जो वाद पत्र के पैरा संख्या 02 के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित है। उपरोक्त आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजीयात होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रह है परन्तु प्रतिवादीगण विवादित आराजी मुतनाजा का बिना विधिक बंटवारा कराये विवादित आराजी मुतनाजा को बेचान करने पर सख्त आमादा है, ऐसी स्थिति में बिना बंअवारा कराये विवादित आराजी का बेचान नहीं किया जा सकता है चूँकि जब तक विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहकाश्तकार का कब्जा माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना—पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिनांक 25.10.2024 को पारित किये थे तत्पश्चात दिनांक 25.10.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि यदि विपक्षीगण उक्त आराजी को रहन,बय व मुन्तकिल करने आमादा है जिन्हे ताफैसला मूल वाद तक पावंद किया जावें। यदि विपक्षीगण अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद एवं अपील प्रस्तुती का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी /अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना—पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील विपक्षीगण को पावंद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश न्यायहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार.....

Scanned with CamScanner

लगातार.... में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया।बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि अन्तिम आदेश नहीं होकर, अन्तरिम आदेश है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने वाद पेश किया गया तथा वाद के साथ प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जिसे दिनांक 25.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.10.2024 नियत की गई तथा उसी दिनांक 25.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर तथा जवाब हेतु समय चाह। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01, 02 के अधिवक्ता को सुनकर प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज कर दिया तथा अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु समय दिया जाकर आगामी पेशी दिनांक 13.11.2024 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जवाब हेतु विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner